

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

सं.सं.- 10/निजी-01-1116/2024

पटना/दिनांक-

श्री अजीत कुमार (आई0डी0-5664), सहायक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-01, पटना को उनके द्वितीय संतान हेतु दिनांक-09.03.2026 से दिनांक-23.03.2026 तक कुल-15 (पन्द्रह) दिनों के उपभोगित अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-220 तथा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2498 दिनांक-12.04.2007 एवं पत्रांक-9889 दिनांक-01.12.2015 के आलोक में पितृत्व अवकाश के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सरफराज अहमद)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 10/निजी-01-1116/2024

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 10/निजी-01-1116/2024

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 10/निजी-01-1116/2024

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-01, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 10/ निजी-01-1116/2024

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- श्री अजीत कुमार (आई0डी0-5664), सहायक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-01, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 10/ निजी-01-1116/2024

1938

पटना/दिनांक-

30/04/2026.

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव (प्रबंधन)।